

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 1 बैतूल, के न्यायालय के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैतूल
(पीठासीन न्यायाधीश – प्रदीप के वरकडे)

व्यवहार वाद क्रमांक:-129-ए/2017

संस्थापन दिनांक:- 29/06/2017

1. रेखचंद वल्द स्व. शंकरलाल प्रजापति, उम्र 45 वर्ष,
2. राजेन्द्र वल्द स्व. शंकरलाल प्रजापति, उम्र 38 वर्ष,
3. द्वारका वल्द स्व.शंकरलाल प्रजापति, उम्र 36 वर्ष,
निवासी-दुर्गा चौक, घोडाडोंगरी तह. घोडाडोंगरी
जिला बैतूल(म.प्र)**वादीगण**

ब ना म

1. मंहगीलाल वल्द स्व. कोदूलाल प्रजापति उम्र-65 वर्ष,
निवासी-दुर्गा चौक, घोडाडोंगरी तह. घोडाडोंगरी
जिला बैतूल(म.प्र)
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर बैतूल,
तहसील व जिला बैतूल म.प्र.**प्रतिवादीगण**

—: (आ दे श) :-

(आज दिनांक 19/07/2017 को पारित)

1. इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. आई.ए. नंबर-1 का निराकरण किया जा रहा है।

2. वादी का आवेदन इस प्रकार है कि स्व. कोदूलाल वादीगण के दादा थे, उनकी मृत्यु हो गई है इनके दो पुत्र शंकरलाल एवं मंहगीलाल हैं। स्व. कोदूलाल की संपत्ति दुर्गा चौक घोडाडोंगरी तह घोडाडोंगरी जिला बैतूल में आबादी खसरा नम्बर 667/1 में आबादी भूमि में लगभग 60 गुणा 180 अर्थात् 10920 वर्ग फुट भूमि जिसमें वादीगण के पिता शंकरलाल निवासरत थे जिस में उक्त मकान पर स्व. कोदूलाल की मृत्यु के पश्चात शंकरलाल व मंहगीलाल का नाम सहखातेदार के रूप में इन्द्राज हुआ जो ग्राम पंचायत घोडाडोंगरी की मांग सूचना पंजी में सरल क्रमांक 79 पृष्ठ क्रमांक 13 पर दर्ज है। जिसके इस प्रकरण में वादी या भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा। वादीगण का अपने पिता की भूमि पर समान अंश प्राप्त है वादीगण 667/1 के भाग पर भौतिक एवं वास्तविक आधिपत्य में है यदि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादीगण को उसके आधिपत्य की भूमि से बेदखल किया गया तो

वादीगण को अपूर्ण्य क्षति होगी तथा उसे अपनी भूमि के आधिपत्य से वंचित होना पड़ेगा।

3. प्रतिवादी क्रमांक 1 मंहंगीलाल वादीगण के चाचा है तथा इनके द्वारा वादग्रस्त मकान को तोड़ कर नवनिर्माण कर रहे है। इस निर्माण कार्य को रोकने हेतु वादीगण ने प्रतिवादी से अनुरोध किया किन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 के पुत्रों द्वारा बलात रूप से निर्माण कार्य करने हेतु कॉलम बीम डाल दिये है। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था इस परिस्थिति में वादीगण द्वारा श्रीमान तहसीलदार घोडाडोंगरी के समक्ष अवैध निर्माण कार्य रोके जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया किन्तु वादीगण को यह आशंका हुई कि तहसीलदार घोडाडोंगरी द्वारा क्षेत्राधिकार के अभाव में कोई कार्यवाही नहीं होगी व प्रकरण निरस्त कर दिया जावेगा इस कारण यह दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तहसीलदार घोडाडोंगरी के समक्ष प्रकरण लंबित रहते हुए भी प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया है। यदि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया तो दावा का उद्देश्य निष्फल होगा। प्रतिवादी क्रमांक 1 को कोई अधिकारिता नहीं है कि वह बिना बंटवारा के अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के अनुसार निर्माण कार्य करें।

4. वादीगण के चाचा मंहंगीलाल को कोई अधिकार नहीं था कि वह वादीगण के हित को प्रभावित कर अथवा वादीगण की अंश की भूमि पर मकान अवैध रूप से निर्माण कार्य कराते। उक्त दाविया भूमि पर वादीगण का सामान अंश 1/2 अंश विद्यमान है। इस कारण यह दावा स्वत्व घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ। वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया वादीगण के पक्ष में सुदृढ़ है तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में विद्यमान है। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा बलपूर्वक निर्माण कार्य किया गया तो वादीगण को अपूर्ण्य क्षति होगी जिसकी पूर्ती रूपयों में संभव नहीं है।

5. प्रतिवादीगण द्वारा आवेदन पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता मे जवाब अस्वीकार कर व्यक्त किया कि कोदूलाल की पत्नि सुन्दरबाई थी सुन्दर बाई की एक बहन जानकी बाई पति मुन्ना लाल था। जानकी बाई लाओलाद होने के कारण शंकरलाल को गोद पुत्र लिया गया था इसलिए शंकरलाल अपना स्वत्व खो चुके थे इसलिए उनके द्वारा कभी कोई दावा मंहंगीलाल के विरुद्ध नहीं किया गया उनके द्वारा दावा न किए जाने के कारण धारा 115 विबंधन के सिद्धांत भी लागू होता है। वादी द्वारका द्वारा ग्राम पंचायत घोडाडोंगरी में फौती नामान्तरण बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमे उनके द्वारा यह अभिवचन किया है कि आबादी भूमि ग्राम घोडाडोंगरी प.ह.नं.-45 खसरा नम्बर 667/1 है जिस पर एक मकान बना है जो 0.5018 है वर्तमान में मेरी दादी जानकी बाई पति मुन्ना लाल के नाम से ग्राम पंचायत घोडाडोंगरी में दर्ज है एवं मेरी

दादी जानकी बाई की कोई संतान नहीं थी। उनके द्वारा शंकरलाल पिता कोदूलाल को अपना दत्तक पुत्र मानकर पाल-पोस कर बड़ा किया था जानकीबाई की मृत्यु दिनांक 18.06.2000 को हो चुकी है इस तथ्य की स्वीकारोक्ति वादीगण द्वारा की गई है कि शंकरलाल दत्तक पुत्र चला गया था इसलिए स्व. कोदूलाल की संपत्ति वादीगण के पिता शंकरलाल को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं है राज्य अभिलेख में वादीगण का नाम दर्ज नहीं है और नहीं वह अस्तित्व में है केवल नाम दर्ज होने से स्वत्व प्राप्त नहीं हो जाता है।

6. दुर्गा चौक घोडाडोगरी में स्थित मकान पर प्रतिवादी क्रमांक 1 मंहगीलाल का आधिपत्य है। इसके पूर्व इस भूमि पर मकान बना था उक्त मकान में मंहगीलाल परिवार सहित निवासरत थे इस मकान में शंकरलाल कभी नहीं रहे वह दत्तक पुत्र होने के कारण जानकीबाई के साथ निवास करते थे आज भी वादीगण उक्त भवन पर निवासरत है। जानकीबाई की संपत्ति शंकरलाल को प्राप्त हो इस तथ्य का प्रमाण हो। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा पुराने जीर्ण-क्षीर्ण मकान को छोड़कर नवनिर्माण किया है जो पूर्णता की ओर है। उक्त मकान ग्राम पंचायत घोडाडोंगरी में मंहगीलाल के नाम से दर्ज है। ग्राम पंचायत में भवन निर्माण हेतु विधिवत शुल्क जमा किया गया है तथा मकान निर्माण किया गया है। वादीगण का राजस्व अभिलेख पर कोई नाम दर्ज नहीं है न ही वादपत्र के साथ नजरी नक्शा अथवा राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। दावा में चतुर्थसीमा का पूर्णतः अभाव है भूमि की स्पष्ट पहचान नहीं होती है। वादीगण का कोई अस्तित्व व आधिपत्य न होने से अपूर्णनीय क्षति का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसके विपरीत प्रतिवादी क्र 1 को अपूर्णनीय क्षति होगी क्योंकि निर्माणाधीन स्थल पर निर्माण सामग्री रेत, ईंट, सीमेंट एवं लोहा इत्यादि रखी गई है। व्यवसाय कार्य में सामग्री खराब होने तथा चोरी होने की संभावना है, जिसकी गणना रूपयों में किया जाना संभव नहीं है। प्रतिवादी क्र 1 द्वारा पुराने मकान को तोड़ कर नवनिर्माण कार्य किया है। निर्माण कार्य हेतु कॉलम बीम खोदी जाकर निर्माण कार्य किया जा चुका है। वादीगण स्वच्छ हाथों के समक्ष न्यायालय के समक्ष नहीं आए हैं वादीगण को प्रतिवादी के विरुद्ध दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अतः वादीगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी सहपठित धारा 151 सीपीसी निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. आवेदन के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु हैं :-

- 1— क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है ?
- 2— क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
- 3— क्या अस्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में जारी न होने से उसे कोई अपूर्णीय क्षति होना संभावित है ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 :-

8. उभयपक्षों की ओर से परस्पर विरोधीभाषी एवं खंडनकारी शपथपत्र प्रस्तुत किए हैं मात्र शपथ पत्रों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं है।

9. वादी का आवेदन इस प्रकार है कि स्व. कोदूलाल वादीगण के दादा थे उनकी मृत्यु हो गई है इनके दो पुत्र शंकरलाल एवं मंहगीलाल हैं। स्व. कोदूलाल की संपत्ति दुर्गा चौक घोडाडोंगरी तह घोडाडोंगरी जिला बैतूल में आबादी खसरा नम्बर 667/1 में आबादी भूमि में लगभग 60 गुणा 180 अर्थात् 10920 वर्ग फुट भूमि जिसमें वादीगण के पिता शंकरलाल निवासरत थे जिस में उक्त मकान पर स्व. कोदूलाल की मृत्यु के पश्चात शंकरलाल व मंहगीलाल का नाम सहखातेदार के रूप में इन्द्राज हुआ जो ग्राम पंचायत घोडाडोंगरी की मांग सूचना पंजी में सरल क्रमांक 79 पृष्ठ क्रमांक 13 पर दर्ज है। वादीगण 667/1 के भाग पर भौतिक एवं वास्तविक आधिपत्य में है यदि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादीगण को उसके आधिपत्य की भूमि से बेदखल किया गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा उसे अपनी भूमि के आधिपत्य से वंचित होना पड़ेगा।

10. प्रतिवादी क्रमांक 1 मंहगीलाल वादीगण के चाचा हैं प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था। प्रतिवादी क्रमांक 1 को कोई अधिकारिता नहीं है कि वह बिना बंटवारा के अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के अनुसार निर्माण कार्य करें। वादीगण के चाचा मंहगीलाल को कोई अधिकार नहीं था कि वह वादीगण के हित को प्रभावित कर अथवा वादीगण की अंश की भूमि पर मकान अवैध रूप से निर्माण कार्य कराते। उक्त दाविया भूमि पर वादीगण का सामान अंश 1/2 अंश विद्यमान है। इस कारण यह दावा स्वत्व घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ। वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया वादीगण के पक्ष में सुदृढ़ है तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में विद्यमान है। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा बलपूर्वक निर्माण कार्य किया गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ती रूपों में संभव नहीं है। वादीगण पक्ष के समर्थन में द्वारका प्रसाद वल्द शंकरलाल प्रजापति, द्वारका प्रसाद वल्द शंकरलाल प्रजापति का शपथ पत्र एवं दिनांक 24.03.17 को तहसीलदार घोडाडोंगरी को दिया गया शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति, शंकर वल्द कोदूलाल की मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, ग्राम पंचायत घोडाडोंगरी के द्वारा दिनांक 06.04.17 को जारी प्रमाण पत्र असल प्रति एवं मकान निर्माण की फोटो की दस्तावेज सूची प्रकरण में प्रस्तुत की है।

11. प्रतिवादीगण द्वारा आवेदन पत्र पर व्यक्त किया कि कोदूलाल की पत्नि सुन्दरबाई थी सुन्दर बाई की एक बहन जानकी बाई पति मुन्ना लाल था। जानकी बाई लाओलाद होने के कारण शंकरलाल को गोद पुत्र लिया गया था इसलिए शंकरलाल अपना स्वत्व खो चुके थे वादी द्वारा ग्राम पंचायत घोडाडोंगरी में फौती नामान्तरण बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें उनके द्वारा यह अभिवचन किया है कि आबादी भूमि ग्राम घोडाडोंगरी प.ह.नं.-45 खसरा नम्बर 667/1 है जिस पर एक मकान बना है जो 0.5018 है वर्तमान में मेरी दादी जानकी बाई पति मुन्ना लाल के नाम से ग्राम पंचायत घोडाडोंगरी में दर्ज है एवं मेरी दादी जानकी बाई की कोई संतान नहीं थी। उनके द्वारा शंकरलाल पिता कोदूलाल को अपना दत्तक पुत्र मानकर पाल-पोस कर बड़ा किया था जानकीबाई की मृत्यु दिनांक 18.06.2000 को हो चुकी है दुर्गा चौक घोडाडोंगरी में स्थित मकान पर प्रतिवादी क्रमांक 1 मंहगीलाल का आधिपत्य है। इस मकान में शंकरलाल कभी नहीं रहे वह दत्तक पुत्र होने के कारण जानकीबाई के साथ निवास करते थे वादीगण जानकीबाई के भवन दुर्गा चौक पर स्थित मकान में निवास करते हैं। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा पुराने जीर्ण-क्षीर्ण मकान को छोड़कर नवनिर्माण किया है जो पूर्णता की ओर है। उक्त मकान ग्राम पंचायत घोडाडोंगरी में मंहगीलाल के नाम से दर्ज है। ग्राम पंचायत में भवन निर्माण हेतु विधिवत शुल्क जमा किया गया है तथा मकान निर्माण किया गया है। दावा में चतुर्थसीमा का पूर्णतः अभाव है भूमि की स्पष्ट पहचान नहीं होती है। वादीगण का कोई अस्तित्व व आधिपत्य न होने से अपूर्णनीय क्षति का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसके विपरीत प्रतिवादी क्र 1 को अपूर्णनीय क्षति होगी क्योंकि निर्माणाधीन स्थल पर निर्माण सामग्री रेत, ईट, सीमेंट एवं लोहा इत्यादि रखी गई है। व्यवसाय कार्य में सामग्री खराब होने तथा चोरी होने की संभावना है, जिसकी गणना रूपों में किया जाना संभव नहीं है। प्रतिवादी क्र 1 द्वारा पुराने मकान को तोड़ कर नवनिर्माण कार्य किया है। निर्माण कार्य हेतु कॉलम बीम खोदी जाकर निर्माण कार्य किया जा चुका है। वादीगण स्वच्छ हाथों के समक्ष न्यायालय के समक्ष नहीं आए हैं वादीगण को प्रतिवादी के विरुद्ध दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अतः वादीगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी सहपठित धारा 151 सीपीसी निरस्त किए जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण क्रमांक 1 की ओर से मंहगीलाल वल्द कोदूलाल प्रजापति, मदन दूबे वल्द स्व. भाउराव दुबे के शपथ पत्र प्रस्तुत किए हैं साथ ही ग्राम पंचायत घोडाडोंगरी की रसीद क्रमांक 43, 44 दिनांक 04.01.17, दिनांक 24.01.17 ग्राम पंचायत घोडाडोंगरी की रसीद 69 सरपंच ग्राम पंचायत घोडाडोंगरी फौती नामान्तरण बाबत तहसीलदार घोडाडोंगरी को प्रजापति द्वारा दिया गया शपथ पत्र मृतक शंकरलाल प्रजापति की परिवाद के संबंध में समुदाय की फोटोप्रति प्रकरण में प्रस्तुत की गई।

12. प्रकरण में वादीगण दुर्गाचौक घोडाडोंगरी में स्थित खसरा नम्बर 667/1 लगभग 60 गुणा 180 वर्गफीट अर्थात् 10920 वर्गफीट भूमि पर वादीगण संयुक्त रूप से काबिज के संबंध में बताया कि उसके दादा कोदूलाल के संपत्ति पर

उनकी मृत्यु के बाद उनके पिता शंकरलाल वल्द मंहगीलाल का नाम सहखातेदार के रूप में इन्द्राज हुआ था जो ग्राम पंचायत घोडाडोंगरी की मांग सूचना पंजी में सरल क्रमांक 79 पृष्ठ क्रमांक 13 में दर्ज है। वादीगण उनके पिता की भूमि पर समान अधिकार है जिसके संबंध में उसके द्वारा ग्राम पंचायत घोडाडोंगरी के सचिव के द्वारा दिनांक 06.04.17 को प्रस्तुत किये गये जिस पर कोदूलाल की मृत्यु होने के स्थान पर उनके पुत्र स्व. शंकरलाल प्रजापति एवं मंहगीलाल का नाम लिखा है जबकि प्रतिवादी क्रं 1 की ओर से उनके द्वारा ग्राम पंचायत घोडाडोंगरी की रसीद क्रमांक 43, 44 दिनांक 04.01.17, दिनांक 24.01.17 ग्राम पंचायत घोडाडोंगरी की रसीद 69 सरपंच ग्राम पंचायत घोडाडोंगरी फौती नामंतरण बाबत तहसीलदार घोडाडोंगरी को प्रजापति द्वारा दिया गया। वादीगण के विरुद्ध दिनांक 06.04.17 को ग्राम पंचायत घोडाडोंगरी के सचिव के द्वारा जारी किया गया था जिस पर ग्राम पंचायत की मांग सूचना पंजी पर सरल क्रमांक 79 पृष्ठ क्रमांक 13 पर अंकित होना बताया है किन्तु उक्त संबंध में वादीगण की ओर से ग्राम पंचायत घोडाडोंगरी के सचिव ने किस आधार पर दिनांक 06.04.17 को प्रमाण पत्र प्रकरण में प्रस्तुत किया है के संबंध में सचिव का शपथपत्र प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं वादीगण की ओर से ग्राम पंचायत कोदूलाल की मृत्यु होने के पश्चात शंकरलाल प्रजापति वल्द मंहगीलाल प्रजापति का नाम इन्द्राज किया गया था के संबंध में भी रिकार्ड दुरुस्त करने का भी दस्तावेज वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से वादग्रस्त स्थल पर निवास करते हैं के संबंध में वादीगण के द्वारा कच्चे मकान में स्थित बिजली बिल, वोटर आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड भी वादग्रस्तता के संबंध में संयुक्त रूप से निवासरत वादी प्रतिवादीगण के साथ कर रहा हो के दस्तावेज भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्र० 2 व 3 का सकारण निष्कर्ष

13. जहां तक प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता अर्थात् वादग्रस्त भूमि संयुक्त रूप से प्रतिवादीगण के साथ निवास करते हैं प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं पाया जाता है। ऐसी दशा में वादीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति भी नहीं पाया जाता। फलतः विचारणीय बिन्दु क्रमांक 2 और 3 भी वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया नहीं पाया जाता।

14. उपरोक्त विवेचना अनुसार तीनों विचारणीय बिन्दुओं वादीगण/आवेदकगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया नहीं पाया गये हैं ऐसी दशा में वादीगण/आवेदकगण का आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा-151 व्य.प्र.सं. (आई ए नंबर 1) दिनांक 29.06.17 निरस्त किया जाकर निराकृत किया गया।

15. इस आदेश या इस आदेश में किसी निष्कर्ष का कोई प्रभाव प्रकरण के गुण-दोषों पर नहीं होगा।

आदेश हस्ताक्षरित एवं,
पारित किया गया।

मेरे आलेख पर टंकित
किया गया।

(प्रदीप के. वरकडे)
प्रथम अति.व्यवहार न्याया0वर्ग-1,
बैतूल

(प्रदीप के. वरकडे)
प्रथम अति. व्यवहार न्याया0वर्ग-1,
बैतूल